

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-09/2017/एस-2-311/दस-2017-88क(4)/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 06 मार्च, 2017

कार्यालय-आदेश

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त 30प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारी को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है
1	2	3
1	श्री पवन द्विवेदी, वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0 इलाहाबाद।

2- संबंधित अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, 30प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

शिव गोपाल सिंह
अनु सचिव।

संख्या-09/2017/एस-2-311(1)/दस-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास/शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 3- निदेशक, शिक्षा निदेशालय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

- 1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।